अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः 194

दिनांकः 19-8-2011

निदेशक, जन स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

विषय : – माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47–48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) सं0 से विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक औषधियों के परिवहन हेतु प्रस्तावित प्रावधित राशि रू. 3.40 करोड़ के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2011–12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47–48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में आर.एम.एस.सी द्वारा क्रय की जा रही औषधियों के जिला स्तर पर भण्डारण हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) की स्थापना RHSDP के अन्तर्गत की गई है या की जा रही है। इन 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से सम्बन्धित जिलों के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा उप–स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपखण्ड स्तरीय/सेटेलाइट अस्पताल, जिला अस्पताल आदि तक दवाईयों के परिवहन के लिये प्रत्येक जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) के लिए राशि रू @ 10 लाख के अनुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग मे विचाराधीन है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आंवटन बजट शीर्षवार सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के समक्ष स्तर से अनुमोदित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त अतिरिवत बजट प्रावधान मुख्य बजट शीर्ष 2210 एवं सम्बन्धित विभिन्न उप बजट शीर्षो 01 से 03 से संबंधित है एवं इसके प्रस्ताव भी आपके द्वारा एकल पत्रावली पर वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं। अतिरिक्त बजट प्रावधानों का वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही बजट आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जानी है।

उक्तानुसार जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) से सम्बन्धित जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक औषधियों का परिवहन करवाना सुनिश्चित कराएँ क्योंकि आरएमएससी का दायित्व केवल औषधियों/सूचर्स/सर्जिकल्स का क्रय करके जिला औषधि भण्डारगृह (DDWs) तक संग्रहण/भण्डारण तक ही सीमित है। DDWs से जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन का कार्य निदेशक, जनस्वास्थ्य व उनके अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही किया जाना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु संबन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की क्रियान्वति सफलतापूर्वक की जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, राजस्थान समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ